न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उवान– किशोर सिंह वगैहर बनाम जगदीश प्रसाद वगैरह

केस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट मु.नं0 116 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख0नं0 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1654/2175 कुल किता 9 कुल रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि हैं। जिसमें उसका 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार व मौके पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबित काश्त चला आ रहा है। भूमियां का मौके पर पूर्वज रामबक्स, नारायण सिंह को अपने पिता ने अपने जीवनकाल में बाहमी बंटवारा करके दोनों भाईयों को संभलाया था। जिसके अनुसार अपनी नींव–सींव कायम करके काबिज काश्त रहे है तथा उक्त दोनों भाईयों की मौके पर पुरानी हवेली, बाडा भी बना हुआ है, जो ख0नं0 1614, 1615 व 1616 में अवस्थित है, जो गै0मु0 आबादी है, जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व उनके पिता का है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के चाचा रामबक्स के हिस्से में रही है। वादग्रस्त भूमियों की सिंचाई हेतु ख0नं0 1611 गै0मु0 चाह बना हुआ है, जिसमें कृषि विधुत कनेक्शन है तथा ख0नं0 1113 में प्रार्थी सं0 1 किशोर सिंह ने अपने हिस्से में अपनी भूमि पर काफी वर्षो पूर्व आवासीय पक्के मकानात बनाकर आवास निवास करता आरहा है।ख0नं0 1611 गै0मु0 चाह पर आने–जाने का वर्षो पुराना रास्ता जो ख0नं0 1618 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे हे, जो वर्षो से वादग्रस्त भूमियों की जुताई, बुआई, आवासीय मकानों के उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है, जो आज भी प्रचलित है। जहां से प्रार्थीसं0 1 अपने आवासीय मकानों में आने जाने व काश्त के लिए उपयोग में भी लेता आ रहा है। ख0नं0 1613 की सीमा तक काफी वर्षो पुराना बना हुआ रास्ता है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है। प्रार्थीगण के चाचा रामबक्स ने वादग्रस्त भूमियों का बिना विधिवत बंटवारा कराये ही अपना 1/2 हिस्सा संपूर्ण अप्रार्थी सं0 1 को आज से करीब 13 वर्ष पूर्व बेचान कर दिया तथा उस समय दिनांक 7.2.2013 को एक लिखावट भी प्रार्थीगण के पिता को अप्रार्थी सं0 1 ने दी थी, जिसकें मुताबिक प्रार्थी सं0 1 के मकान तक रास्ता संभालती रहने जिसके कभी बंद नहीं करने की दी गई थी। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 25.06.2025 को मद सं0 3 में वर्णित अनुसार मौके पर बना रास्ता जो ख0नं0 1611 व ख0नं0 1613 की सीमा पर जाता है को पत्थर डालकर पक्का निर्माण करके मौके पर चालू रास्ते को अतिशीघ बंद करने की ऐलानिया धमकियां दे रहा है तथा ख0नं0 1617 में जबरन बलात कब्जा करके पक्का निर्माण किया व किये जाने की कुचेष्टा में निर्माण करके बलात कब्जा करके काबिज होकर रास्ता को अवरूद्ध करने की पुख्ता तैयार के साथ मौके पर निर्माण सामग्री बजरी सीमेन्ट व पत्थर डालना शुरू कर दिया। ऐसा करने से प्रार्थीगण के हक अधिकार पर कुठाराघात होगा। अप्रार्थी सं0 1 जो एक अजनबी व्यक्ति बिना विधिक बंटवारा करवाये अपने मन मुताबिक हिस्से पर नींव–सींव, तोड–फौड करने, जबरन कच्चा–पक्का निर्माण करके बलात काबिज होकर प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

है, जिसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाना निहायत आवश्यक है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि आवेदन की मद सं0 2 व 3 तथा 5 में उल्लेखित प्रकार से अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त, फसल की जुताई, बुआई, कटाई पेड पौधों की छंगाई, किसी प्रकार से बलात कब्जा करने, नींव–सींव,तारबंदी, कच्चा पक्का निर्माण आदि किसी भी प्रकार के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के निस्तारण तक प्रतिबंधित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में अंकित कथनों को ही दोहराते हुए टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा उभय पक्ष को पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.25 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1654/2175 कुल किता 9 कुल रकबा 2.28 है0 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.08.25 को जारी की जा चुकी है एंव तहसीलदार,दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू0अ0/25/5620 दिनांक 18.08.2025 को प्राप्त हो चुके है। वाद में बंटवारा प्रस्ताव पर सुना जाकर फाईनल डिक्री जारी की जानी है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 142/2024 उनवानी किशोर सिंह वगैरह बनाम जगदीश प्रसाद वगैरह के निस्तारण तक राजस्व ग्राम मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1654/2175 कुल किता 9 कुल रकबा 2.28 है0 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर